न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट घाटोल जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्री राम प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 51 / 2013

वादी :–

1. श्री लेम्बिया पुत्र श्री वजेंगिया, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. श्री रामा पुत्र श्री खातिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।
2. श्रीमती तुलसी पत्नी रामा जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।
3. श्री धारिया पुत्र श्री रामा जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।
4. श्री शंकर पुत्र श्री रूपला जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।
5. श्री गटु पुत्र श्री शंकर जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।
6. श्री वेस्ता पुत्र श्री खातिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।
7. श्री रामा पुत्र श्री हरजी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।
8. श्रीमान् तहसीलदार साहब, घाटोल, जिला बांसवाडा, राज.।

दिनांक :–04.03.2020

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 183, 209 आर.टी. एक्ट

वादी ने अपने वाद में बताया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खाता संख्या 95 नया, पुराना 92 वाके ग्राम हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। इसके सर्वे नम्बर 73 क्षैत्रफल 0.10 है. लगान 0.10 रूपये, सर्वे नम्बर 74 क्षैत्रफल 0.20 है. लगान 0.20 रूपये को प्राप्त वादीगण संख्या 1 से लगातार 7 ने जबरन छीन लेने की नियत बना ली है। वादी ने कहा कि प्रतिवादी संख्या एक से 7 ने दिनांक 09.04.2012 को वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के खेत सर्वे नम्बर 73 एवं 74 में प्रवेश कर उस पर ट्रेक्टर से पत्थर डलवानें शुरू कर दिये तथा वादी के मकान के पास ही नींव खोदकर एक टापरा बना लिया। तथा सर्वे नम्बर 74 की कुछ भूमि को खेड दिया। वादी द्वारा प्रतिवादीगण एक से सात द्वारा किये गये अतिक्रमण हटवाकर कब्जा दिलाने हेतु निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक से सात की तरफ से कोई जवाबदावा पेश नही किया गया। वादी की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत की गयी परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी प्रतिवादी की तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। पत्रावली को कैम्प कोर्ट, अटल सेवा केन्द्र रूपजी का खेडा में दिनांक 24.06.2015 को पेश किया गया। कैम्प कोर्ट में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ एवं एकतरफा कार्यवाही करते हुए तथा ग्रामवासियों के आवेदन पर खातेदार के बेदखली के वाद को

खारिज किया गया। अतः वादी ने राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में अपील की। आरएए ने तथ्यों का अवलोकन कर यह निर्देश दिया कि वादी अपीलेण्ट के बेदखली को वाद को सुने बिना, साक्ष्य पर विचार किये बिना तथा खण्डन में प्रतिवादी की तरफ से कोई साक्ष्य उपलब्ध नही होने के बावजूद प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय दिया जो प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रक्रिया के प्रतिकुल है।

अतः रिमाण्ड होकर पत्रावली पुनः इस न्यायालय में पेश हुई। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाबदावा नही पेश की गयी अतः तनकी नही कायम की गयी। पत्रावली बहस हेतु कई बार अवसर दिया गया लेकिन प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ। अतः एकतरफा बहस सुनी गयी। राजस्व रिकार्ड प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत 2066–69 अनुसार वादग्रस्त भूमि का खातेदार वादी दर्ज रिकार्ड है। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। अतः यह वाद वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

(राम प्रकाश)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
घाटोल, बांसवाडा।

–:: आदेश ::–

ग्राम हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा सर्वे नम्बर 73 एवं 74 में परिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर बनाये गये टापरे से प्रतिवादी गण एक से सात को बेदखल कर अतिक्रमण राहत कब्जा वादी को दिलाने के लिये तहसीलदार घाटोल को आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राम प्रकाश)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
घाटोल, बांसवाडा।

डिगरी ब मुकदमें इब्तदाई
(आ. रूल 67 जाप्ता दिवादी)
आज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – घाटोल

ब इजलास .... श्री राम प्रकाश ....

1. श्री लेम्बिया पुत्र श्री वजेंगिया, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।

बनाम

1. श्री रामा पुत्र श्री खातिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।
2. श्रीमती तुलसी पत्नी रामा जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।
3. श्री धारिया पुत्र श्री रामा जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।
4. श्री शंकर पुत्र श्री रूपला जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।
5. श्री गटु पुत्र श्री शंकर जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।
6. श्री वेस्ता पुत्र श्री खातिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।
7. श्री रामा पुत्र श्री हरजी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.)।
8. श्रीमान् तहसीलदार साहब, घाटोल, जिला बांसवाडा, राज.।

दावा बाबत – 183, 209 आर.टी. एक्ट
मुकदमा नंबर – 51 सन् – 2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईमफिलास कतई रूबरू .... ब हाजरी .... मिनजानिब मुदई व .... मिनजानिब मुदयलह पेष होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि .... तहसील घाटोल के ग्राम हरेंगजी का खेडा, पटवार हल्का रूपजी का खेडा सर्वे नम्बर 73 एवं 74 में प्राप्त वादीगण द्वारा अतिक्रमण कर बनाये गये टापरे से प्रतिवादी गण एक से सात को बेदखल कर अतिक्रमण राहत कब्जा वादी को दिलाने के लिये तहसीलदार घाटोल को आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्रि जारी की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

नीज .... मुबनीग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलयाबी तक .... का अदा करें।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आद तारीख 04.03.2020 को जारी की गई।

दस्तखत : श्री राम प्रकाश (आई.ए.एस.)

औहदा : उपखण्ड अधिकारी

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायल	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालत नाम	शुन्य		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालत नाम	शुन्य	
स्टाम्प वजह सबूत	शुन्य		स्टाम्प वजह सबूत	शुन्य	
महनताजा वकील	शुन्य		महनताजा वकील	शुन्य	
खर्चा गवाहन	शुन्य		खर्चा गवाहन	शुन्य	
फीस कमिश्नर	शुन्य		फीस कमिश्नर	शुन्य	
बबत इजराय हुक्म नाम	शुन्य		बबत इजराय हुक्म नाम	शुन्य	
मुतफरिक मिजान			मुतफरिक मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।